फॉर्म L-1-A-RA

बीमाकर्ता का नाम: भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण संख्या 512 और आईआरडीएआई के साथ पंजीकरण की तिथि 01.01.2001

31.12.2022 को समाप्त अवधि के लिए राजस्व खाता

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण	अनुसूची संदर्भ प्रपत्र संख्या	जुड़ा हुआ व्यवसाय					गैर-लिंक्ड व्यवसाय												कुल योग
							सहभागी						गैर - सहभागी						
		जीवन	पेंशन	स्वास्थ्य	परिवर्तनीय	कुल	जीवन	वार्षिकी	पेंशन	स्वास्थ्य	परिवर्तनीय	कुल	जीवन	वार्षिकी	पेंशन	स्वास्थ्य	परिवर्तनीय	कुल	
अर्जित प्रीमियम - शुद्ध																			
(a) प्रीमियम	**एल 4**	2,95,772.56	42,868.42	4,470.33	-	3,43,111.31	1,85,46,736.77	169.01	28,371.55	-	-	1,85,75,277.33	40,40,885.11	9,24,459.64	1,03,65,239.41	21,074.12	380.48	1,53,52,038.76	3,42,70,427.40
(b) करवाये गये पुनर्बीमा		(34.80)	(0.62)	(657.63)	-	(693.05)	(7,730.68)	-	(9.90)	-	-	(7,740.58)	(32,027.03)	-	-	(5,616.22)	-	(37,643.25)	(46,076.88)
(c) पुनर्बीमा स्वीकृत		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेश से आय		-	-	-	-		-	-	-	-	-								
(a) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल		47,159.97	23,033.98	7,474.75	-	77,668.70	1,32,96,478.71	27,467.49	2,24,063.18	-	-	1,35,48,009.38	25,65,040.30	6,97,105.53	33,96,355.80	2,652.56	690.26	66,61,844.45	2,02,87,522.53
(b) निवेश के विक्रय / मोचन पर लाभ		92,366.66	58,691.60	5,298.44	-	1,56,356.70	25,11,370.04	-	279.42	-	-	25,11,649.46	9,52,742.97	589.41	3,54,967.94	483.20	146.78	13,08,930.30	39,76,936.46
(c) (निवेश के विक्रय / मोचन पर नुकसान)		(5,653.26)	(9,502.14)	(341.32)	-	(15,496.72)	(2,26,616.44)	(3,130.23)	(1,925.40)	-	-	(2,31,672.07)	(9,345.86)	(4,116.92)	(31,609.71)	(17.34)	(1.42)	(45,091.25)	(2,92,260.04)
(d) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ/स्थानांतरण		(71,041.50)	(38,853.15)	(6,715.81)	-	(1,16,610.46)	(1,238.76)	-	-	-	-	(1,238.76)	-	-	-	-	-	-	(1,17,849.22)
(e) प्रीमियम का परिशोधन/ निवेश पर छूट		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य आय		(69.85)	0.60	0.46	-	(68.79)	6,75,904.00	1.69	0.01	-	-	6,75,905.70	30,421.55	0.02	10,251.55	0.02	(13.79)	40,659.35	7,16,496.26
शेयरधारकों के खाते से अंशदान																			
(a) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) अन्य		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (A)		3,58,499.78	76,238.69	9,529.22	-	4,44,267.69	3,47,94,903.64	24,507.96	2,50,778.86	-	-	3,50,70,190.46	75,47,717.04	16,18,037.68	1,40,95,204.99	18,576.34	1,202.31	2,32,80,738.36	5,87,95,196.51
कमीशन	**एल 5**	6,823.67	1,258.12	215.79	-	8,297.58	16,31,395.05	3.13	675.45	-	-	16,32,073.63	17,816.25	20,041.81	4.58	2,874.70	11.07	40,748.41	16,81,119.62
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	**एल 6**	20,974.15	8,293.89	1,270.72	-	30,538.76	33,60,145.33	472.67	5,467.13	-	-	33,66,085.13	1,00,154.43	21,068.36	15,399.37	14,704.29	5.89	1,51,332.34	35,47,956.23
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		(3,555.34)	(10,502.65)	(6.12)	-	(14,064.11)	(75,565.30)	-	-	-	-	(75,565.30)	1.24	(1,168.47)	-	(2.41)	2.00	(1,167.64)	(90,797.05)
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गए		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान		927.24	-	536.24	-	1,463.48	99,197.17	1,497.35	-	-	-	1,00,694.52	3,07,389.49	3,780.27	14,763.16	868.63	-	3,26,801.55	4,28,959.55
प्रावधान (कराधान के अलावा)		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
(a) निवेश(शुद्ध) के मूल्य में कमी के लिए		-	(8.00)	-	-	(8.00)	(1,49,648.17)	-	-	-	-	(1,49,648.17)	5,345.33	1.28	13,092.78	-	-	18,439.39	(1,31,216.78)
(b) अन्य के लिए		(279.77)	(179.32)	-	-	(459.09)	(1,40,411.35)	6,394.98	5,792.38	-	-	(1,28,223.99)	21,151.80	16.19	14,696.96	-	(26.03)	35,838.92	(92,844.16)
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर		4,618.95	1,079.60	862.88	-	6,561.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,561.43
कुल (B)		29,508.90	(58.36)	2,879.51	-	32,330.05	47,25,112.73	8,368.13	11,934.96	-	-	47,45,415.82	4,51,858.54	43,739.44	57,956.85	18,445.21	(7.07)	5,71,992.97	53,49,738.84
भुगतान किए गए लाभ (शुद्ध)	**एल 7**	1,18,832.73	64,349.27	8,231.23	-	1,91,413.23	1,25,52,902.89	27,598.47	1,51,729.29	-	-	1,27,32,230.65	34,75,374.08	5,65,693.35	58,97,330.72	1,356.06	2,093.78	99,41,847.99	2,28,65,491.87
भुगतान किया गया अंतरिम बोनस		-	-	-	-	-	2,73,072.12	-	46.75	-	-	2,73,118.87	-	-	-	-	-	-	2,73,118.87
जीवन पॉलिसियों के संबंध में देयता के मूल्यांकन में परिवर्तन		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
(a) सकल		199.30	(1,092.02)	(832.98)	-	(1,725.70)	1,65,67,167.27	(21,742.19)	(1,24,789.65)	-	-	1,64,20,635.43	15,09,388.51	9,82,642.71	80,38,526.70	(7,190.55)	(732.42)	1,05,22,634.95	2,69,41,544.68
(b) पुनर्बीमा में दी गई राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(c) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(d) लिंक्ड पॉलिसियों के लिए निधि रिजर्व		2,07,235.67	11,661.00	(4,431.36)	-	2,14,465.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14,465.31
(e) बंद नीतियों के लिए निधि		6,278.46	316.82	-	-	6,595.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,595.28
कुल (C)		3,32,546.16	75,235.07	2,966.89	-	4,10,748.12	2,93,93,142.28	5,856.28	26,986.39	-	-	2,94,25,984.95	49,84,762.59	15,48,336.06	1,39,35,857.42	(5,834.49)	1,361.36	2,04,64,482.94	5,03,01,216.01
अधिशेष/(घाटा) (D) =(A)-(B)-(C)		(3,555.28)	1,061.98	3,682.82	-	1,189.52	6,76,648.63	10,283.55	2,11,857.51	-	-	8,98,789.69	21,11,095.91	25,962.18	1,01,390.72	5,965.62	(151.98)	22,44,262.45	31,44,241.66
शेयरधारकों के खाते से अंतरित राशि (गैर-तकनीकी खाता)[6]		9,923.37	3,085.88	-	-	13,009.25	(102.87)	-	-	-	-	(102.87)	-	-	-	-	151.98	151.98	13,058.36
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि		6,368.09	4,147.86	3,682.82	-	14,198.77	6,76,545.76	10,283.55	2,11,857.51	-	-	8,98,686.82	21,11,095.91	25,962.18	1,01,390.72	5,965.62	(0.00)	22,44,414.43	31,57,300.02
विनियोग																			
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण		6,368.09	4,147.86	3,682.82	-	14,198.77	-	-	-	-	-	-	21,11,095.91	25,962.18	1,01,390.72	5,965.62	-	22,44,414.43	22,58,613.20
अन्य रिजर्व में स्थानांतरण (निर्दिष्ट किया जाना है)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भविष्य के विनियोगों के लिए शेष निधि		-	-	-	-	-	6,76,545.76	10,283.55	2,11,857.51	-	-	8,98,686.82	-	-	-	-	-	-	8,98,686.82
कुल		6,368.09	4,147.86	3,682.82	-	14,198.77	6,76,545.76	10,283.55	2,11,857.51	-	-	8,98,686.82	21,11,095.91	25,962.18	1,01,390.72	5,965.62	-	22,44,414.43	31,57,300.02

i) तिमाही के लिए ii) तिमाही तक iii) पिछले वर्ष की इसी तिमाही के लिए और iv) पिछले वर्ष की इसी तिमाही तक के लिए अलग पृष्ठ उपलब्ध कराए जाने हैं।
अ) आईआरडीए विनियम, 2002 की अनुसूची ए के तहत भाग V का अनुच्छेद (1)(वित्तीय विवरण तैयार करना और बीमा कंपनियों की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) का संदर्भ लें ।
आ) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार प्राप्त किये गए वास्तविक लाभ का प्रतिनिधित्व
इ) दिनांक 4 अक्टूबर 2019 के परिपत्र आईआरडीए /वि एवं ले/परिपत्र/विविध/184/10/2019 का संदर्भ लें ।
ई)मास्टर परिपत्र दि.11.12.2013 के पैरा 2.10.2 जो जीवन बीमा व्यवसाय के वित्तीय विवरण तैयार करने और रिटर्न दाखिले के बारे में है ,का संदर्भ लें।
उ) बोनस के आवंटन के बाद गणितीय भंडार का प्रतिनिधित्व करता है
कुल अधिशेष को निम्नलिखित विवरणों के साथ अलग से खुलासा किया जाएगा:

(ए) भुगतान किया गया अंतरिम बोनस : रु 2,73,118.87 लाख
(बी) पॉलिसीधारकों को बोनस का आवंटन:
(सी) राजस्व खाते में दिखाया गया अधिशेष: रु 31,44,241.66 लाख
(डी) कुल अधिशेष: [(ए)+(बी)+(सी)]। रु 34,17,360.53 लाख

ऊ) मास्टर परिपत्र दि.11.12.2013 के पैरा 2.6 का जो जीवन बीमा व्यवसाय के वित्तीय विवरण तैयार करने और रिटर्न दाखिल करने पर है,का संदर्भ लें।
टिप्पणी:
a) पुनर्बीमा प्रीमियम चाहे वह व्यवसाय पर दिया गया हो या स्वीकार किया गया हो, को पुनर्बीमा प्रीमियम शीर्ष के तहत सकल खाते (अर्थात कमीशन काटने से पहले) में दिखाया जाना है।
b) कुल प्रीमियम (से पुनर्बीमा को घटाकर) के एक प्रतिशत से अधिक आय या रु. 5,00,000, जो भी अधिक हो, को एक अलग मद के रूप में दिखाया जाना है ।
c) निवेश के संबंध में प्राप्य ब्याज, लाभांश और किराये को सकल राशि के रूप मे दिखाया जाना चाहिए, स्रोत पर काटे गए आयकर की राशि को 'अग्रिम भुगतान किए गए कर और स्रोत पर कर कटौती' के तहत शामिल किया जाना चाहिए।
d) किराए से मिलने वाली आय में केवल वसूला गया किराया शामिल होगा। इसमें कोई विचारमूलक किराया शामिल नहीं होगा।
e) उप-शीर्ष "अन्य आय" के तहत विदेशी मुद्रा लाभ या हानि और अन्य मदों जैसे मदों को शामिल किया जाएगा।
नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अग्रेजी वर्जन में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जाएगा ।
निगम, पुंजी मोचन एवम (निरधरित वार्षिकी सहित) कि पोलिसियो को बेचने के व्यवसाय मैं था । अब तक इस योजना को गैर जीवन व्यवसाय के रूप मैं माना जाता था और न तो स्टैंडअलोन वित्तीय परिणमों में शामिल किया गया था न ही एक अलग खंड के रूप मैं दर्शाया गया था । आईसीएआई (ICAI) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त राय के आधर पर, इस योजना को अब 31.03.2023 तक के स्टैंडअलोन परीक्षित